



प्रारूप - 'एक'
(अन्य पिछड़े वर्गों के प्रमाण पत्र के लिये)
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक
प्रकरण क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

स्थाई जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पिता श्री एवं माता श्रीमती निवासी ग्राम/ शहर
..... तहसील जिला
मध्यप्रदेश के निवासी है, जो जाति के है जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम
जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौबन, दिनांक 2 अप्रैल 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर
जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है, जो सूची के क्रमांक पर अंकित है।

श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला
संभाग में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञान क्रमांक एफ 7-26-
93-1आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/ श्रीमती/ कुमारी के परिवार की कुल
वार्षिक आय रुपये है।

स्केन्ड सील

पदाधिकारी के हस्ताक्षर (स्केन्ड)

नाम

पदनाम

स्थान
दिनांक
आधार नं.
SSSM नं.

नोट : पंजीयन क्रमांक द्वारा जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन बेबसाईट <http://lokseva.gov.in> अथवा
<http://mpedistrict.gov.in> पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।